



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 386]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 21, 2013/फाल्गुन 2, 1934

No. 386]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 21, 2013/PHALGUNA 2, 1934

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(पूंजी बाजार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2013

क्र.आ. 417(अ).—केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 15द के साथ पठित धारा 15ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री जोग सिंह को 20-2-2013 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए या बासठ (62) वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, प्रतिभूति अपील अधिकरण, मुम्बई के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 3/4/2012-आरई]

अनूप वधावन, संयुक्त सचिव (सी एम)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(CAPITAL MARKET DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2013

S.O. 417(E).—In exercise of the power conferred by Section 15L read with Section 15N of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Central Government hereby appoints Shri Jog Singh as Member of the Securities Appellate Tribunal, Mumbai for a period of five years with effect from the forenoon of 20-2-2013 or till he attains age of sixty two (62) years, whichever is earlier.

[F. No. 3/4/2012-RE]

ANUP WADHAWAN, Jt. Secy. (CM)